

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्या: पीसीएच-एचए(1)2/2019- विभाजन/पुर्नगठन -55573-582 28 अगस्त, 2020

अधिसूचना

क्योकि उपायुक्त मण्डी के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला मण्डी के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुर्नगठन हेतु, प्रस्तावनाएं विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राजपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मण्डी के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को नियमानुसार विभाजित/पुर्नगठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते है, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए राज्य सरकार के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला मण्डी के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुर्नगठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला मण्डी को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला मण्डी के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुर्नगठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला मण्डी की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी:

कसं	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रमों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रमों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रमों के नाम	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	
1	विकास खण्ड बल्ह						
	1 बैहल	1 मोहरी	नटनेड	1 नटनेड	1 मोहरी		
		2 बैहल		2 हवाणी का उप गांव बागचौक घेरा के खसरा न0 187	2 बैहल		

				से 410 तथा 632 से 695 उप गांव हवाणी के खसरा न0 411 से 631 लदेहरा के खसरा के खसरा न0 696 से 761		
		3 धडवाहन		3 लुहारडी	3 धडवाहन	
		4 सैहल			4 सैहल	
		5 पैडी			5 पैडी	
		6 पस्ता			6 पस्ता	
		7 नटनेड			7 गैहरा	
		8 हवाणी का उप गांव बागचौक घेरा के खसरा न0 187 से 410 तथा 632 से 695 उप गांव हवाणी के खसरा न0 411 से 631 लदेहरा के खसरा के खसरा न0 696 से 761				
		9 लुहारडी				
		10 गैहरा				
2	विकास खण्ड सराज					
	1 खोलानाल	1 खोलानाल	खाहरी	1 खाहरी	1 खोलानाल	
		2 डी पी एफ खोलानाल		2 डी पी एफ शलोई	2 डी पी एफ खोलानाल	
		3 खाहरी		3 शेहनू		
		4 डी पी एफ शलोई				
		5 शेहनू				
3	विकास खण्ड धर्मपुर					
	1 सिद्धपुर	1 सिद्धपुर	ततोहली	1 ततोहली परडाणा	1 सिद्धपुर	

		2 ततोहली परडाणा	परडाणा	2 महलुआ	2 सकोह	
		3 महलुआ		3 मल्हौड	3 चलैला	
		4 मल्हौड			4 खडून	
		5 सकोह			5 त्योग	
		6 चलैला			6 ब्नोग	
		7 खडून				
		8 त्योग				
		9 ब्नोग				
4	विकास खण्ड सदर मण्डी					
	1 कोट	1 अलग	द्रुबल	1 अलग	1 बडोहा	
		2 मन्ढोखर		2 मन्ढोखर	3 रोपामटयाल	
		3 बडोहा		3 ध्वानसरी	4 कून	
		4 रोपामटयाल		4 द्रुबल	5 कोट	
		5 ध्वानसरी				
		6 द्रुबल				
		7 कून				
		8 कोट				

आदेश द्वारा
सचिव (पचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।


पृ० संख्या: उपरोक्त 5573-582

दिनांक 28 अगस्त, 2020

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सुझावों/आक्षेपों यदि कोई हो, को सुझाव तथा आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों के भीतर निपटारा करके ई-मैल या विशेष वाहक द्वारा इस निदेशालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. जिला पचायत अधिकारी मण्डी को इस आशय सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करवाएंगे।

3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला मण्डी हि0प्र0. को इस आशय सहित कि वह उक्त अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान/सचिव को सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतु उपलब्ध करवाएं तथा इसका व्यापक प्रचार भी सुनिश्चित करें।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/ सचिव ग्राम पंचायत जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को (सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर चसपान सुनिश्चित करवाएंगें तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करे।


अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.